डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक :सम्ब / 1809 /2026 दिनांक : 18 / 08 / 2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक / सचिव,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद।

विषयः– दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 की निर्धारित समय–सारिणी के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–सम्ब0 / 1175 / 2026, दिनांक 11.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा अद्यावधि निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है, वे बिना किसी विलम्ब के तत्काल समस्त लम्बित कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय स्तर से मास्टर डाटा, शुल्क / पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण, छात्र–छात्राओं के आवेदन, नवीनीकरण, सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनाओं / अभिलेखों की शुद्धता एवं सत्यता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धन / प्राचार्य का होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण / गलत सूचना, विलम्ब अथवा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के कारण छात्रवृत्ति आवेदन के सत्यापन, डाटा लॉक अथवा छात्रवृत्ति भुगतान में उत्पन्न किसी भी कठिनाई अथवा प्रतिकूल स्थिति के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय–सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त लम्बित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप–कुलसचिव, आवासीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवासीय इकाई में संचालित समस्त संस्थानों को तत्काल अवगत कराते हुए निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव